


14.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की वादी व प्रतिवादी के मध्य मे आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा कि गई। उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत मे विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहयक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

